राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1114/2024

भूपेश नायक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ex-officio, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डिवीजन बांसवाडा।
4. निलेश जोशी, AAO II, जरिये निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ex-officio, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024

आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खंड बांसवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण

वर्तमान पदस्थापन स्थान से कुलसचिव गोविन्द गुरू जन जाति विश्वविद्यालय, बांसवाडा किया गया है। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो कि अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को उचित नहीं माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है, जो बिना प्रशासनिक आवश्यकता के स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण डेढ वर्ष की अल्पावधि में ही किया गया है और उसे ग्रेड प्रथम के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बिना विवेक का प्रयोग किये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खंड बांसवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कुलसचिव गोविन्द गुरू जन जाति विश्वविद्यालय, बांसवाडा किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्रेड प्रथम के पद विरूद्ध किये जाने का प्रश्न है, यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें लोकहित में कहां पर ली जानी है। अपीलार्थी को उच्च पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है, जिसमें कोई नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है और लोकहित में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2022 में एक ही स्थान पर पदस्थापित था और लगभग 2 वर्ष बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया हो और न ही यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य